

## राजस्थान सरकार

### सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

ई-मेल Sjeraj\_cao@yahoo.com फोन 0141-2220217

क्रमांक:-एफ-3(4)(861)जलेस/सा.न्या.अ.वि./2020/3384


जयपुर,दिनांक:- 25.03.2020

### कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि योजना-प्रभारियों एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों, प्रधान महालेखाकार कार्यालय के ड्राफ्ट पैरा, तथ्यात्मक विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निरीक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की समयबद्ध अनुपालना किये जाने को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिससे जनलेखा समिति को सिफारिशों की पूर्ण अनुपालना समय पर भिजवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही विभाग के बकाया सिफारिशों/आक्षेपों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

जनलेखा समिति की सिफारिशों, सी.ए.जी. प्रतिवेदन के अनुच्छेदों, प्रधान महालेखाकार/निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पूर्ण अनुपालना समयबद्ध रूप से नहीं किये जाने को राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी द्वारा गंभीरता से लिये जाने से समय-समय पर पत्रों द्वारा अवगत कराये जाने के बावजूद भी अनुपालना समय पर प्रेषित नहीं किया जाना खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अनुभाग/प्रशाखा द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित जनलेखा समिति की सिफारिशों, सी.ए.जी. प्रतिवेदनों तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के ड्राफ्ट पैरा, तथ्यात्मक विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदनों की बकाया सिफारिशों/आक्षेपों की पूर्ण अनुपालना समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा स्थिति में उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, राजकार्य में लापरवाही, एवं उदासीनता के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ-3(4)(86)जलेस/सा.न्या.अ.वि./2020/3585-3663


जयपुर,दिनांक:- 25.03.2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.न्या.अ.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सा.न्या.अ.वि. राज. जयपुर।
3. महाप्रबन्धक, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, सहकार भवन, जयपुर।
4. अति. निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी (जनलेखा समिति), सा.न्या.अ.वि., जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास, मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुख्यालय।



7. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन, मुख्यालय।
8. अतिरिक्त निदेशक, देवनारायण योजना, मुख्यालय।
9. अतिरिक्त निदेशक, एससीएसपी, मुख्यालय।
10. अतिरिक्त निदेशक, योजना, मुख्यालय।
11. अतिरिक्त निदेशक, राईस, मुख्यालय।
- ✓ 12. संयुक्त निदेशक, आई.टी.सैल, मुख्यालय।
13. उपनिदेशक, पिछडीजाति, मुख्यालय।
14. सहायक निदेशक, पालनहार, मुख्यालय।
15. समस्त जिलाधिकारी, सान्याअवि, .....
16. सहायक निदेशक, महिला सदन, जयपुर/ समस्त अधीक्षक, नारी निकेतन.....
17. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय, सान्याअवि, .....
18. पत्रावली फाईल।

  
25.9.2020  
(आर.एल.परसोया)  
वित्तीय सलाहकार



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

ई-मेल Sjeraj\_cao@yahoo.com फोन 0141-2220217

क्रमांक : एफ 3(4) (851)जलेस/सान्याअवि/2019-20/3670

जयपुर, दिनांक : 25.09.2020

### बैठक सूचना

जनलेखा समिति, 2020-21 ने सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 में समाविष्ट विभागीय अनुच्छेदों एवं जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 के 244 वें प्रतिवेदन तथा जनलेखा समिति वर्ष 2019-20 के 50 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की समीक्षा हेतु बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे समिति कक्ष संख्या-752 में साक्ष्य लेने का निर्णय किया है।

अतः निम्नलिखित योजना प्रभारियों/जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त सी.ए.जी.अनुच्छेदों, जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों में समाविष्ट सिफारिशों के संबंध में आपसे संबंधित प्रकरणों की महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी अनुसार पूर्ण अद्यतन (update) सूचना/अनुपालना (मय-दस्तावेज) के साथ दिनांक 30.09.2020 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे, निदेशक महोदय की अध्यक्षता में निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि उक्त विषय में लिये जाने वाले साक्ष्य के लिए विभागीय प्रत्युत्तर निर्धारित समयावधि में जनलेखा समिति को प्रेषित किये जा सकें। उक्त बैठक में आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता एवं प्रशासन/नोडल अधिकारी जनलेखा समिति ।
2. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन/नोडल अधिकारी जनलेखा समिति, बाल अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन/नोडल अधिकारी जनलेखा समिति, विशेष योग्यजन विभाग, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक, देवनारायण योजना, मुख्यालय।
6. उपनिदेशक, सान्याअवि, अजमेर।
7. उपनिदेशक, सान्याअवि, जयपुर (शहर)।
8. उपनिदेशक, सान्याअवि, बीकानेर।
9. उपनिदेशक, सान्याअवि, भरतपुर।
10. सहायक निदेशक, सान्याअवि, अलवर।
11. सहायक निदेशक, सान्याअवि, बारां।
12. सहायक निदेशक, सान्याअवि, दौसा।
13. सहायक निदेशक, सान्याअवि, करौली।
14. सहायक निदेशक, सान्याअवि, सवाईमाधोपुर।
15. सहायक निदेशक, सान्याअवि, टोंक।
16. सहायक निदेशक, सान्याअवि, पाली।

( ओ.पी. बुनकर )

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
जयपुर, दिनांक : 25.09.2020

क्रमांक : एफ 3(4) (851)जलेस/सान्याअवि/2019-20/3671-73  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. उपसचिव, शासन सचिव, सान्याअवि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय।

(आर.एल.परसोया)  
वित्तीय सलाहकार